'दुर्रानी कोचिंग' और 'अनअकैडमी' केंद्र सील

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः एमपी नगर क्षेत्र में गुरुवार को प्रशासन ने फायर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने पर बड़ी कार्रवाई करते हुए दुर्रानी कोचिंग और अनअकैडमी के एक-एक सेंटर को सील कर दिया। यह कार्रवाई नोटिस की निर्धारित अवधि समाप्त होने के बाद नगर निगम, फायर विभाग और राजस्व अमले की संयुक्त टीम ने की।

कार्रवाई के दौरान उपायुक्त भुवन गुप्ता ने बताया कि संबंधित संस्थानों में फायर एनओसी, आपातकालीन निकास (एग्जिट गेट) और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों से जुड़ी गंभीर कमियां पाई गई थीं। पूर्व में नोटिस जारी कर कमियां दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन निर्धारित समय सीमा तक पालन नहीं होने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। मौके पर जोनल अधिकारी शैलेष चौहान, फायर ब्रिगेड के इफ्तिखार खान, पंकज खरे तथा अन्य अधिकारी मौजूद रहे। टीम ने कार्रवाई के दौरान पंचनामा भी तैयार किया। कोचिंग संस्थान सील होने की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में छात्र और अभिभावक मौके पर पहुंच गए। अचानक हुई कार्रवाई के कारण कई अभिभावकों ने बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने को लेकर चिंता जताई।

उपायुक्त भुवन गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी करने वाले संस्थानों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्रशासन ने सभी कोचिंग संचालकों से निर्धारित सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की अपील की है।

फायर सुरक्षा मानकों में खामियाँ मिलने पर कार्रवाई

पिस्टल-रिवॉल्वर समेत दो तस्कर गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः शहर में अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर हथियारों की तस्करी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई की है। ताजा गिरफ्तारी के बाद इस प्रकरण में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, एक रिवॉल्वर, एक देशी कट्टा, पांच जिंदा कारतूस तथा आठ मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार अपराध क्रमांक 47/26 में फरार चल रहे आरोपी अकमल अली (21) निवासी चौकी इमामबाड़ा और समी खान (19) निवासी हाथीखाना, तलैया को मुखबिर की सूचना पर ताजुल मस्जिद के सामने तथा यूनिक अस्पताल के पास से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने अवैध हथियार खरीदने की बात स्वीकार की। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने बेनजीर ग्राउंड की दीवार के पास से एक रिवॉल्वर और वीआईपी गेस्ट हाउस के पीछे निर्माणाधीन भवन से एक पिस्टल बरामद की।

क्राइम ब्रांच के अनुसार इससे पहले इसी मामले में आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर तीन पिस्टल, एक देशी कट्टा, पांच कारतूस और आठ मोबाइल फोन जब्त किए गए थे। ताजा कार्रवाई के बाद पूरे गिरोह के 10 सदस्य पुलिस की गिरफ्त में हैं।

पुलिस आयुक्त संजय कुमार के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त मोनिका शुक्ला, पुलिस उपायुक्त (अपराध) अखिल पटेल, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त शैलेन्द्र सिंह चौहान और सहायक पुलिस आयुक्त अनिल वर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच निरीक्षक महेंद्र सिंह की टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।

पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-ए) के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार आरोपियों से पूछताछ जारी है और अवैध हथियारों की तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है।

नापतौल विभाग का सेवानिवृत्त निरीक्षक एक लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः लोकायुक्त पुलिस भोपाल ने गुरुवार को रिश्वतखोरी के एक मामले में बड़ी ट्रैप कार्रवाई करते हुए नापतौल विभाग के सेवानिवृत्त निरीक्षक हरिप्रसाद पटेल को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई बोर्ड ऑफिस चौराहे के पास स्थित इंडियन कॉफी हाउस के निकट की गई। मामले में नापतौल कार्यालय भोपाल के प्रभारी उप नियंत्रक एवं निरीक्षक नसीमुद्दीन पर चार लाख रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप है।

लोकायुक्त के अनुसार, बीपी भोपाल सिटी पेट्रोल पंप (एमपी नगर जोन-2) के संचालक अमित सिंह बघेल ने 24 जून को पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त सुनील कुमार पाटीदार से शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि पेट्रोल पंप की जांच के दौरान तीन नोजल बंद कर प्रकरण बनाया गया था। इस मामले के निराकरण और मशीनों की स्टैम्पिंग के लिए प्रभारी उप नियंत्रक नसीमुद्दीन ने चार लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत का सत्यापन कराने के बाद लोकायुक्त ने ट्रैप की योजना बनाई। गुरुवार को नसीमुद्दीन के कथित निर्देश पर सेवानिवृत्त निरीक्षक हरिप्रसाद पटेल रिश्वत की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये लेने इंडियन कॉफी हाउस के पास पहुंचा। जैसे ही उसने राशि स्वीकार की, पहले से तैनात लोकायुक्त टीम ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है तथा प्रभारी उप नियंत्रक नसीमुद्दीन की भूमिका की भी जांच की जा रही है।

यह कार्रवाई महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख तथा उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज सिंह के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में गठित टीम ने की। ट्रैप दल का नेतृत्व उप पुलिस अधीक्षक अजय मिश्रा ने किया। टीम में निरीक्षक कविंद्र चौहान, निरीक्षक रजनी तिवारी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे।

सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी त्वरित सहायता

नप्र, भोपाल : सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पीड़ितों को शासकीय योजनाओं का समय पर लाभ दिलाने के उद्देश्य से पुलिस परिवहन शोध संस्थान (पीटीआरआई), भोपाल में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मो. शाहिद अबरार के निर्देश पर आयोजित प्रशिक्षण का विषय इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन, समयबद्ध सड़क दुर्घटना जांच और शासकीय योजनाएं रहा।

प्रशिक्षण में उप पुलिस अधीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर तक के अधिकारियों और कर्मचारियों को सड़क दुर्घटनाओं की प्रभावी जांच, आधुनिक यातायात प्रबंधन तकनीकों तथा दुर्घटना पीड़ितों को आर्थिक सहायता और कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री राहत योजना, राहवीर योजना और हिट एंड रन (पीड़ित प्रतिकर योजना-2022) के प्रभावी क्रियान्वयन एवं व्यापक प्रचार-प्रसार पर विशेष प्रशिक्षण दिया गया।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव से समत्व भवन में गुरुवार को महामंडलेश्वर योगी यतींद्रानंद गिरी ने सौजन्य भेंट की।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में 25892 घर विद्युतीकृत

नप्र, भोपाल : ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में जनजातीय बहुल 25 हजार 892 घर अब तक विद्युतीकृत किये जा चुके हैं।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 8737, मध्य क्षेत्र ने 4097 और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने 13 हजार 58 घरों को विद्युतीकृत किया है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा आदिवासी बहुल गांवों (500 या अधिक की आबादी वाले और कम से कम 50 प्रतिशत अनूसूचित जनजाति वाले गांव) में आदिवासी परिवारों सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना प्रारंभ की गई है। इस मिशन में गैर-विद्युतीकृत आदिवासी घरों का विद्युतकरण शामिल है। घरेलू विद्युतीकरण का कार्यान्वयन विद्युत मंत्रालय की रिवेम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) द्वारा किया जा रहा है। इसमें 40 प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है।

78 कार्यालय सहायक ग्रेड- तीन प्रशिक्षुओं की नियुक्ति

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण एवं युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन के 78 प्रशिक्षुओं की नई भर्ती एवं नियुक्ति की गई है।

नवनियुक्त सभी 78 कार्यालय सहायक ग्रेड-तीन प्रशिक्षुओं ने 29 मई को पावर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेनिंग सेंटर में कार्यभार ग्रहण कर प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रारंभिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत उन्हें कंपनी के विभिन्न शहर एवं संचालन-संधारण वृत्तों में प्रशिक्षण के शेष मॉड्यूल पूर्ण करने के लिये पदस्थ किया गया है। इससे प्रशिक्षुओं को मैदानी स्तर पर कार्य का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा तथा वे भविष्य में अधिक दक्षता एवं प्रभावशीलता के साथ अपनी सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे।

भारतीय स्टेट बैंक ने मनाया 71वां स्थापना दिवस

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का 71वां स्थापना दिवस भोपाल स्थित स्थानीय प्रधान कार्यालय में उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। दिनभर आयोजित कार्यक्रमों में सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व, तकनीकी नवाचार, कर्मचारी सम्मान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का समावेश रहा।

कार्यक्रम की शुरुआत बैंक डे प्रतिज्ञा से हुई, जिसमें मुख्य महाप्रबंधक प्रभाष कुमार सुबुद्धि और वरिष्ठ अधिकारियों ने उत्कृष्ट ग्राहक सेवा तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसके बाद मुख्य महाप्रबंधक ने आधुनिक डिजिटल स्क्रीन और फायर हाइड्रेंट सिस्टम का उद्घाटन कर बैंक की आधुनिक एवं सुरक्षित कार्यसंस्कृति को नई दिशा दी। स्थापना दिवस पर आयोजित स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। वहीं रंगोली प्रतियोगिता में भारतीय संस्कृति, राष्ट्रभक्ति और एसबीआई की गौरवशाली परंपरा को आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया। शाम को प्रशासन अकादमी में आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बैंक की एक वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित वीडियो प्रदर्शित किया गया। समारोह में पद्मश्री डॉ. नारायण व्यास और पूर्व पुलिस महानिदेशक पवन जैन का शॉल एवं स्मृति-चिह्न देकर सम्मान किया गया। 'ग्रोइंग अप विद एसबीआई' गतिविधि के विजेताओं और उत्कृष्ट खिलाड़ी कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया।

पवन जैन के काव्य पाठ, एसबीआई लेडीज़ क्लब की प्रस्तुतियों तथा गीत, नृत्य और नाट्य कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि एसबीआई केवल देश का सबसे बड़ा बैंक ही नहीं, बल्कि वित्तीय समावेशन, डिजिटल बैंकिंग, सामाजिक उत्तरदायित्व और उत्कृष्ट ग्राहक सेवा का अग्रणी संस्थान है। समारोह के अंत में उप महाप्रबंधक एवं मंडल विकास अधिकारी मनीष मठपाल ने किया।

साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता

थानों और साइबर क्राइम ब्रांच ने शहर में चलाया विशेष अभियान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से भोपाल पुलिस कमिश्नरेट की साइबर क्राइम ब्रांच एवं शहर के सभी थाना पुलिस ने गुरुवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक साइबर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान सरकारी कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, पेट्रोल पंपों और सार्वजनिक स्थानों पर नागरिकों, विद्यार्थियों और व्यापारियों को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के तहत कोहेफिजा थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट कार्यालय, जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में राजधानी पेट्रोल पंप (चिकलोद रोड), स्टेशन बजरिया थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन रोड स्थित मदन महाराज होटल के सामने, अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में एचपी पेट्रोल पंप, कोतवाली थाना क्षेत्र में सुभाष चौक, ऐशबाग थाना क्षेत्र में बाग उमराव दूल्हा, मंगलवारा थाना क्षेत्र में अल्पना पेट्रोल पंप, अयोध्या नगर थाना क्षेत्र में नरेला शंकरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौतम नगर थाना क्षेत्र में गीतांजलि कॉलेज (पीजीबीटी रोड), एमपी नगर थाना क्षेत्र में प्रगति हॉकर्स परिसर, कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में सांदीपनी स्कूल (बर्रई), कमला नगर थाना क्षेत्र में मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (मैनिट) परिसर, चूना भट्टी थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप, तथा खजूरी सड़क थाना क्षेत्र में डॉ. शंकर दयाल शर्मा आयुर्वेदिक महाविद्यालय (बरखेड़ा) सहित अन्य स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों में लोगों को डिजिटल अरेस्ट, फर्जी पुलिस या सीबीआई अधिकारी बनकर की जाने वाली ठगी, ओटीपी और बैंकिंग फ्रॉड, निवेश एवं ट्रेडिंग स्कैम, सोशल मीडिया हैकिंग, क्यूआर कोड स्कैम, फर्जी लिंक, केवाईसी अपडेट, पार्सल फ्रॉड और फर्जी कस्टमर केयर कॉल जैसी साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपाय बताए गए।

पूर्व मुख्य सचिव केएस शर्मा को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः पूर्व मुख्य सचिव के. एस. शर्मा के जन्मदिन पर गुरुवार को मंत्रालय वल्लभ भवन तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके निवास पहुंचकर शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उन्हें पुष्पगुच्छ, शाल और श्रीफल भेंट कर दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन की कामना की गई।

कार्यक्रम में मंत्रालय कर्मचारी अधिकारी संघ के अध्यक्ष ओ.पी. गौर, संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर सहित भानु तिवारी, जगन्नाथ, ओमप्रकाश वर्मा और आदित्य सराठे उपस्थित रहे।

कैलाश विजयवर्गीय ने सुनीं जनसमस्याएं

भोपाल। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेशभर से आए पार्टी कार्यकर्ताओं और आमजनों से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनकर कई मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया। जिन मामलों का तत्काल समाधान संभव नहीं था, उन्हें संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया।

जाहिर सूचना

सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है, कि मेरे पक्षकार ए.यू. स्मॉल फायनेंस बैंक शाखा प्रबंधक महोदय के बताये गये दिशा-निर्देशनुसार व उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर हर्षिता बिल्डकॉन द्वारा प्रोपराइटर श्री पंकज सक्सेना आ. के. पी. सक्सेना द्वारा फ्लैट 103 एवं फ्लैट क्रं. 402 स्थित, प्रथम तल न्यू गिरधारी हाईट्स जो कि चौबदारपुरा गिन्नौरी तलैया, वार्ड न.-22 तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.), जिसका कुल एरिया 460, एवं 640 वर्गफिट है। इसे राजिस्ट्रर्ड पॉवर ऑफ अर्टानी द्वारा श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव आ. श्री रामगोविन्द श्रीवास्तव श्री धर्मेश श्रीवास्तव आ. श्री ओकार सरन श्रीवास्तव श्रीमती आशा श्रीवास्तव पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र कुमार श्रीवास्तव अभिषेक श्रीवास्तव आ. स्व. श्री राजेन्द्र अमृता श्रीवास्तव पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र श्रीवास्तव से दिनाक 7/07/2021, जिसका पंजीयन रजि. कार्यालय में ई पंजीयन क्रमांक MP059692021A454 2751 पर पंजीबद्ध हैं। तत्पश्चात हर्षिता बिल्डकॉन द्वारा प्रोपराइटर श्री पंकज सक्सेना आत्मज श्री के.पी सक्सेना द्वारा उक्त संपित्त प्लैट क्रमांक 103 एवं फ्लैट 402 को श्रीमती प्रतिभा सक्सेना पत्नी श्री पंकज सक्सेना के पक्ष में एक रजि. गिप्ट डीड द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है अतः उक्त संपत्ति ए यू स्मॉल बैंक भोपाल में बंधक रखी जा रही हैं। उक्त संपत्ति का किसी भी व्यक्ति व्यक्तियों किसी भी शासकीय व अर्द्धशासकीय संस्था बैंक, सोसायटी या किसी भी व्यक्ति का, या अन्य उत्तराधिकारी का जो इस संपत्ति का हित हो, या उक्त संपत्ति कहीं भी किसी, बैंक, संस्था या व्यक्ति के बंधक या गिरवी रखी हो तो आगामी सात-दिवस के अंदर मय- दस्तावेज मेरे कार्यालय या मोबाइल नम्बर पर संपर्क कर प्रस्तुत करें उक्त समयावधि पश्चात आपत्ति अमान्य मानी जागेगी ।

ANAMIKA NATH, ADVOCATE
OFFICE cum Resi. H.No.29, Satakshi Garden, Khajuri Kalan Road, Piplani, Bhopal (M.P.)402022 Mob.9039026897

774

प्रारूप-दस (नियम 7 देखिये)

नायब तहसीलदार, तहसील एम.पी. नगर. ज़िला भोपाल म.प्र. (श्री दीपक द्विवेदी), तहसीलः एमपी नगर, जिला:-भोपाल

जावक क्रमांक.मामला क्रमांक. 0396/अ-6/2026-27

सर्वजनिक नोटिस

एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अनुसूची में उल्लेख अनुसार भू-अभिलेखों में नामांतरण की कार्यवाही इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। कोई भी हितबद्ध व्यक्ति दिनांक 8/7/26 को स्थान एमपी नगर में इस न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता, जिसे सम्यक रूप से अनुदेश दिये गये हों. या वैध प्रतिनिधि के द्वारा उपस्थित होकर विचाराधीन नामांतरण के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। नियत दिनांक के बाद प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। अनुसूचित:- श्रीमती रानी स्वरूपा सोंगा पत्नी स्व. श्री विजय कुमार बाबू निवासी खजूरी कला भोपाल, ग्राम खजूरी कलां खसरा क्रमांक 497/1,497/2, प्लाट क्रमांक 207 रकबा 92.94 वर्गमीटर का नामांतरण किया जाना है आज दिनांक को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया। आज दिनांक 02/07/26 स्थान एमपी नगर पेशी दिनांक 08/07/26 ।

श्री दीपक द्विवेदी (तहसीलदार)
एम.पी. नगर वृत्त भोपाल

773

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एस.एल.एम. बी-ब्लॉक रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्र. /डी.आर.बी. पीएल/101577, दिनांक 05.01.2021)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक शाखा इन्द्रपुरी, भोपाल एवं एचडीएफसी बैंक शाखा आनंद नगर, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

मीरा देवी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
एस.एल.एम. बी-ब्लॉक रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

772

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्री वल्लभ भाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /587, दिनांक19.05.1994)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा, भारतीय स्टेट बैंक शाखा वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट/साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

अक्षय जैन, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
श्री वल्लभ भाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

771

कार्यालय : रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कर्मवीर नगर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

(पंजीयन क्रमांक /डी.आर.बी. /1365, दिनांक 23.05.2018)
क्र./निर्वा.अधि./2026/03 दिनांक 2.07.2026

सूचना

संस्था के समस्त सम्माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि संस्था के संचालक मण्डल के सदस्यों का निर्वाचन साधारण सम्मेलन/विशेष साधारण सम्मेलन में सम्पन्न होना है। अतः संस्था की सदस्यता सूची का प्रकाशन संस्था के नोटिस बोर्ड, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल, विकासखण्ड फंदा भोपाल को-ऑपरेटिव सेन्ट्रल बैंक शाखा इन्द्रपुरी, भोपाल के सूचना पटल पर दिनांक 02/07/2026 को किया गया है। यदि किसी भी सदस्य को इस पर कोई दावा या आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो दिनांक 02/07/2026 से 09/07/2026 तक कार्यालयीन दिवस में मुझे कार्यालय- उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में कार्यालयीन समय में दोपहर 12 से 02 बजे तक सप्रमाण लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं तथा प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ, डी-ब्लॉक, पुराना सचिवालय, भोपाल में दिनांक 10/07/2026 को दोपहर 12.00 बजे से किया जायेगा। सूचना संस्था के समस्त सदस्यों को स्पीड पोस्ट / साधारण डाक द्वारा पृथक से प्रेषित की गई है।

(ज्योति थिंगले) रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
कर्मवीर नगर रहवासी रखरखाव सहकारी संस्था मर्यादित, जिला-भोपाल

770

न्यायालय नायब तहसीलदार बैरागढ चीचली वृत्त तहसील कोलार भोपाल म.प्र.

प्रति, मेसर्स गोकुल डेवलपर्स द्वारा विजेन्द्र जैन आ. स्व. सिरेमल जैन एवं गोपाल अग्रवाल आ. सुनील अग्रवाल निवासी 69 जुमेराती भोपाल..........**आवेदकगण**..........**विरूद्ध**........ 1- श्रीमती कुन्ती व्यास पत्नी मोतीचन्द व्यास पता गेहूँखेडा कोलार भोपाल 2- सांई बाबा गृह निर्माण समिति द्वारा आमिर खान आत्मज शफीक खान निवासी-3 रफीकिया स्कूल रोड फरीद खॉ मस्जिद के पीछे गेहूँखेडा कोलार भोपाल।.............**अनावेदकगण**.........
एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आवेदक मेसर्स गोकुल डेवलपर्स द्वारा विजेन्द्र जैन आ. स्व. सिरेमल जैन एवं गोपाल अग्रवाल आ. सुनील अग्रवाल निवासी 69 जुमेराती भोपाल ग्राम ग्राम गेहूँखेडा स्थित खसरा नंबर 376/13/2 रकवा 0.0700 हे. में से क्रमशः 0.0048 एवं 0.029 हे. भूमि पर आपका अवैध कब्जा पाया गया है। आवेदक द्वारा उक्त कब्जा हटाये जाने हेतु म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 250 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जो विचाराधीन है। अतएव आप समस्त पक्षकार आवेदक के उपरोक्त आवेदन के संबंध में इस इश्तहार के जारी होने के दिनांक 7/7/2026 के भीतर इस न्यायालय में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से अपने स्वत्व संबंधी दस्तावेज एवं आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। समयावधि पश्चात आपत्ति या अन्य आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। आज दिनांक 22/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

तहसीलदार
तहसील कोलार भोपाल

769

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल

प्रकरण क्रं. 0713/अपील/2025-26
भोपाल दिनांक 15/06/2026
अरविन्द सिंह गुर्जर आ. आजादसिंह गुर्जर निवासी- बामलादड़ तहसील इछावर जिला सीहोर.......**विरूद्ध**...........कैलाश रघुवंशी व अन्य आ. श्री एन.एस.रघुवंशी निवासी- एच.आई.जी.-56 शिवाजी नगर प्रगति पेट्रोल पंप के पास भोपाल जिला भोपाल

सूचना पत्र

1. कैलाश रघुवंशी व अन्य आ. श्री एन.एस. रघुवंशी 2. दिलीपसिंह आ. स्व. नत्थूसिंह रघुवंशी निवासी- एच.आई.जी.-56 शिवाजी नगर प्रगति पेट्रोल पंप के पास भोपाल जिला भोपाल 3. दीपसिंह अग्रवाल आ. डी.एन.अग्रवाल निवासी- मालवीय नगर भोपाल एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी अरविन्द सिंह गुर्जर आ. आजादसिंह गुर्जर निवासी- बामलादड़ तहसील इछावर जिला सीहोर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी तहसील सीहोर जिला सीहोर के अपील प्रकरण कमांक 0395/अपील/ 2024-25 में पारित आदेश दिनांक 26.08.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है। अतः इस न्यायालय में दिनांक 06.07.2026 को प्रातः 11.00 बजे आप स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हो । अनुपस्थिति की दशा में आपके विरूद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी। यह सूचना पत्र आज दिनांक 15.06.2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

शिवराज सिंह वर्मा
अपर आयुक्त भोपाल संभाग,भोपाल

768

न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग, भोपाल

रा.अ.प्र.क.991/अपील /25-26 भोपाल, दि. //2026
राजबाई पत्नी श्री शंभूसिंह, निवासी ग्राम विशनपुर तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।..........**अपीलार्थीगण**........**विरुद्ध**... बाबूलाल (मृतक) के वारिसान, एवं अन्य ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई, जिला विदिशा।........**प्रत्यर्थीगण**..
प्रति, बाबूलाल (मृतक) के वारिसान, 1. बल्लू 2. राजकुमार 3. अंनोबाई नाबा. पुत्र/पुत्रीगण रामचन्द्र जय सर.मां गुड्डीबाई पत्नी श्री रामचन्द 4. गुड्डीबाई पत्नि श्री रामचन्द 5. रघुवरी पुत्र श्री कुन्दनलाल 6. मुन्ना पुत्र श्री कुन्दनलाल 01 से 06 सभी निवासी ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई जिला विदिशा। 7. सडडीबाई पत्नि शिवलाल निवासी ग्राम इकोदिया तहसील गुलाबगंज, जिला विदिशा। 8. गुड्डीबाई पत्नि श्री छोटेलाल निवासी बैलोट रोड गंजबासौदा, जिला विदिशा। 9. मुन्नी पत्नि श्री पूरनसिंह निवासी हाल निवासी पीकलोन, तहसील कुरवाई जिला विदिशा। 10. गोरलाल पुत्र श्री बारेलाल चिढार निवासी ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई जिला विदिशा। 11. तुलाराम बालिग/रघुवीर बालिग /गंगाराम पुत्रगण भारत सिंह दांगी, निवासी ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई जिला विदिशा। 12. पप्पू बालिग/बृजेश बालिक पुत्रगण श्री रामपाल साहू निवासीगण ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई 13. परमलाल पुत्र श्री बद्दूलाल, निवासी ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई, जिला विदिशा। 14. विनीताबाई पुत्री श्री इमरतलाल जैन निवासी ग्राम पीकलोन तहसील कुरवाई, जिला विदिशा। एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी राजबाई पत्नी श्री शंभू सिंह, निवासी ग्राम विशनपुर तहसील कुरवाई, जिला विदिशा के द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील कुरवाई जिला विदिशा के अपील प्रकरण क 47/ अपील/08-09 में पारित आदेश 11/02/10 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। 2/-अतः इस न्यायालय में दिनांक 14/07/26 को प्रातः 11.00 बजे आप स्वंय अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उक्त प्रकरण से संबंधित अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित हो। अनुपस्थिति की दशा में आपके विरुद्ध विधिवत एकपक्षीय कार्यवाही की जाएगी। 3/-यह सूचना आज दिनांक 01/07/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी किया गया।

शिवराज सिंह वर्मा
अपर आयुक्त भोपाल संभाग,भोपाल

767